न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 46 आर 15/08–09

कैलाशपति लोहरा अपीलकर्ता

बनाम

केशवचंद्र महतो वगैरह प्रतिवादी

आदेश

10/24.11.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 120/05–06 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 24.1.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
हातमा	35	610,603	13½ कट्ठा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में दुखुवा लोहार पिता भुकुआ लोहार के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हैं। अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विवादित जमीन प्रतिवादी को सहानुभूति के आधार पर रहने के लिए दिया गया था परन्तु इसे हड़प लिया गया। अपीलकर्ता ने खतियानी रैयत के एक उत्तराधिकारी विश्वनाथ लोहार से जमीन का निबंधन करा लिया तथा अपने नाम से नामांतरण करवाने में भी सफल रहे। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विश्वनाथ लोहार आदिवासी थे। प्रतिवादी ने छल प्रपंच से जमीन हड़प लिया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता लोहार जाति के सदस्य हैं लोहरा नहीं हैं। ये अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई मामलो में फैसला दिया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित जमीन प्रतिवादी ने विश्वनाथ लोहार से निबंधित बिक्री द्वारा 1974 में प्राप्त किया है तथा नामांतरण स्वीकृत कराकर शान्तिपूर्ण दखलकार हैं। इन्होंने 2008(4) जे एल जे आर पृष्ठ

संख्या 81 मे प्रकाशित दिनांक 5.8.2008 के निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि लोहार अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं।

वर्तमान अपील वाद एवं निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य तथा विद्वान अधिवक्तागण का बहस सुनने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन खतियान में दुखुवा लोहार के नाम दर्ज है। अनुसूचित जनजाति की सुची में लोहरा जाति को सम्मिलित किया गया है लोहार जाति को नहीं। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा इलेक्शन वाद संख्या 8/2005 में दिनांक 5.8.2008 को पारित आदेश के अनुसार झारखण्ड राज्य में लोहार जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे शामिल नहीं है। इसी आशय का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई मामलों में दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अनसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। अतः धारा 71 ए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं ले सकते। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश सही है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक मे अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः— 24.11.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।